HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1211/2022

1. मनोज कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल महावर, आयु 23 वर्ष (मृतका का पुत्र)
2. बबलू महावर पुत्र श्री कन्हैया लाल महावर, आयु 27 वर्ष (मृतका का पुत्र)
3. (मृत्यु डिलिट दिनांक 14.07.2021) कन्हैयालाल महावर पुत्र स्व. श्री केशरी लाल, आयु 50 वर्ष (मृतका का पति)

....प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री हरिमोहन मीणा पुत्र श्री लच्छीराम मीणा, आयु 26 वर्ष, निवासी–नकटीपुरा गढी गांव, लांगरा, जिला करौली (राज.)
(चालक वाहन ट्रेलर नम्बर आर.जे–14–जी.ई–2777)
2. श्री बीरबल यादव पुत्र श्री सुण्डाराम यादव, निवासी– मकान नम्बर 144, बिछावलियां वाली, नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, थाना मनोहरपुरा, जिला जयपुर।
(पंजीकृत स्वामी वाहन ट्रेलर नम्बर आर.जे–14–जी.ई–2777)
3. श्री लाखन सिंह पुत्र श्री सियाराम, निवासी–नकटीपुरा गढी गांव, पुलिस थाना लांगरा, जिला करौली, (राज.)
(मुख्त्यार स्वामी वाहन ट्रेलर नम्बर आर.जे–14–जी.ई–2777)
4. युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिये क्षेत्रीलय प्रबंधक, कार्यालय द्वितीय तल, सहारा चैम्बर, पुलिस थाना ज्योति नगर, टोंक रोड, जयपुर।
(बीमा कम्पनी वाहन ट्रेलर नम्बर आर.जे–14–जी.ई–2777)

....अप्रार्थीगण

For Appellant(s) : Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Amar Nath Pareek, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ठ न्यायालय, सा.दं.प्र.) जयपुर महानगर, जयपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के

नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–63/2018, बउनवान कन्हैया लाल व अन्य बनाम हरिमोहन मीणा व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 25.08.2021** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **सुशीला** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 44,35,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **6,15,970/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,382/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतका की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 01.11.2017 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतका को खेतीबाड़ी व मजदूरी कर प्रतिमाह 10,000/— रूपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतका की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतका को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,382/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतका की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतका को घरेलू कामकाजी महिला होना बताया गया है। घरेलू काम काज करने वाली महिला स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त अपने परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करती है। यह न्यायालय मृतका के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी दैनिक आय 227/— रुपये, तद्नुसार मासिक आय 227 x 30 = 6,810/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाना उचित समझता है। वक्त घटना मृतका 54 वर्ष आयु की स्वनियोजित व्यवसायी थी। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यह न्यायालय मृतका की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 10 प्रतिशत अर्थात् 681/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतका की कुल शुद्ध मासिक आय 7,491/— रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझता है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतका पर कुल 03 आश्रित बताए गये हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतका पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतका के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गयी है जो उचित प्रतीत होती है। तद्नुसार 7,491/— रुपये का 1/3 भाग 2,497/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत

आश्रित आय की शेष राशि 4,994/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतका की आयु 54 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतका की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 11 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

8. तद्नुसार मृतका की निर्धारित आय 4,994/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 4,994 x 12 x 11 = 6,59,208/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका के पुत्रों अपीलार्थी संख्या–1 व 2 प्रत्येक को 40,000/– रुपये (कुल 80,000/– रुपये) की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है। अपीलार्थी संख्या–3 मृतका के पति की मृत्यु याचिका के लंबित रहने के दौरान हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी संख्या–3 कंसोर्टियम की मद में कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	6,59,208/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 80,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**7,69,208/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		6,15,970/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**1,53,238/–**

13. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **6,15,970/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **7,69,208/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /95-S